न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 13/18 **निर्णय दिनांकः— 03.10.2018**

1. सोमा पुत्री कालूराम पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम कुदसु हाल निवासी वार्ड नम्बर 1 नोखा मण्डी, बीकानेर।
2. कृष्णा पुत्री कालूराम पत्नी रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी ग्राम कुदसु हाल निवासी वार्ड नम्बर 1 नोखा मण्डी, बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1.	कालूराम पुत्र प्रभूराम	जाति बिश्नोई निवासी ग्राम खारा
2.	सुन्दरलाल पुत्र बल्लूराम	तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3.	स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।	

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 15—12—2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय दिनांक 15—12—2017 जिसके द्वारा अपीलांट्स के दावे को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत विधि व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि ग्राम खारा तहसील नोखा के पुराना खेत खसरा नम्बर 41 मिन हाल खसरा नम्बर 224 तादादी 6.82 हेक्टर स्व. दादा प्रभूराम पुत्र बख्ताराम के नाम की पैतृक भूमि थी जिनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त रकबा अपीलांट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कालूराम के नाम दर्ज हुई। कालूराम के जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण अपीलांट्स ही एक मात्र पुत्रियॉ कानूनी वारिस होती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी व अपीलांट्स की माता शांति देवी अपीलांट्स के साथ ही रह रही है। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलांट्स के घर नोखा माण्डी आया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कालूराम अर्थात अपीलांट्स के पिता को अपने साथ खारा गांव ले गया। वहॉ जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बहला — फुसलाकर कूटरचना करते हुए वादगत् भूमि का बैयनामा अपने पक्ष में करवा लिया गया। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को होने पर अपीलांट्स व उनकी माता द्वारा विरोध करने पर वे अपीलांट्स की माता को उठा कर ले गये तथा अपीलांट्स संख्या 1 के साथ मारपीट कर लज्जा भग की गई। जिसकी एफ.आई.आर संख्या 111 दिनांक 07—03—2011 पुलिस थाना, नोखा में दर्ज करवाई गई, जो प्रकरण आज भी विचाराधीन है।

उन्होनें आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि पैतृक भूमि होने के कारण आराजी जैर पर अपीलांट्स का 1/3—1/3 हिस्सा बनता है। जिसकी धोषणा करवाने व खाता विभाजन करवाने व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में तथाकथित बैयनामा को अपने हकों पर बेअसर करवाने व चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को प्राप्त होने पर भी अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट्स का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए खारिज फरमा दिया गया।

जबकि प्रकरण में तमाम राजस्व रिकार्ड से यह बखूबी साबित था कि वादगत् भूमि उनके दादा प्रभूराम के नाम से सवंत् 2031 से 2034 तक पुराने खसरा नम्बर 41 मिन तादादी 29 बीघा 19 बिस्वा दर्ज

रिकार्ड है जिसका मिलान क्षेत्रफल अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त खसरे के नये खसरा नम्बर 224 बने है। अपीलांट्स के दादा प्रभूराम की मृत्यु के उपरान्त वादगत् भूमि अपीलांट्स के पिता कालूराम के नाम दर्ज की गई। जिससे साबित होता है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है, जिस पर अपीलांट्स का जन्म से ही हक व हिस्सा अर्जित व निहित है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता था। वरन् प्रकरण में अदालत मातहत को जवाबदावा, तनकीयात् बनाई जाकर साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जबकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ना तो जवाबदावा लिया गया, नाही किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया निर्णय है।

प्रकरण में वादगत् भूमि पुश्तैनी है अथवा नहीं? वादगत् भूमि के बाबत् तथाकथित बैयनामा एबईनिशियोवाईड है अथवा नहीं? पिता के जीवन काल में पुत्रियॉ दावा पेश नहीं कर सकती? यह सभी तथ्य साक्ष्य व सबूतों के मोहताज थे। अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों पर कतई गौर नहीं करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वादपत्र के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलांट्स का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया कि पिता के जीवनकाल में पुत्रियों को दावा प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादपत्र में बैयनामा निरस्त करने की मांग की गई है जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादगत् भूमि के संबंध में वास्तविक स्थित यह है कि वादगत् भूमि 6 भाईयों में अन्य कृषि भूमि सहिंत बंटवारा होने पर वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हासिल हुई। जिस पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 का संवत् 2010 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का नाम चला आ रहा था ऐसी स्थिति में पिता के नाम को नहीं हटाया गया जबकि वास्तविक कब्जा रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ही चला आ रहा था। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 को विक्रय करने की स्थिति में आज दिनांक को वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का चला आ रहा है। अपीलांट्स/वादीगण का वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादिनी अपने अपने सुसराल में निवास करती है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि वादगत् भूमि एक पुश्तैनी पैतृक भूमि साबित होती हो। प्रकरण में जहॉ तक रजिस्टर्ड बैयनामें का प्रश्न है अपीलांट्स/वादीगण द्वारा उक्त तथाकथित बैयनामें को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक कोई चाराजोई नहीं की गई है। वादगत् भूमि को हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हासिल थे।

प्रकरण में मुख्यतः विवाद के दो बिन्दु निहित है। प्रथम बिन्दु यह है कि क्या वादगत् भूमि पुश्तैनी भूमि है अथवा नहीं? व वादगत् भूमि के बाबत् रजिस्टर्ड बैयनामें को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विवेचन के आधार पर यह पाया गया कि वादगत् भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं होकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के धारण की भूमि है। वादगत् भूमि

पैतृक सम्पति होने का कोई सबूत अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में व पंजीकृत बैयनामें को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि अदालत मातहत द्वारा कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट्स अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स/वादीगण द्वारा दावा विभाजन, धोषणात्मक व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पुराना खेत खसरा नम्बर 41 मिन हाल खसरा नम्बर 224 तादादी 6.82 भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स/वादीगण के दादा प्रभूराम के धारण की भूमि होने से अपीलार्थी का वादगत् भूमि पर 1/3—1/3 हिस्सा बनता है तथा अपीलार्थी के दादा प्रभूराम के देहान्त के उपरान्त वह अपने हक व हिस्से की 1/3 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया कि पिता के जीवनकाल में पुत्रियों को

दावा प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादपत्र में बैयनामा निरस्त करने की मांग की गई है जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादगत् भूमि 6 भाईयों में अन्य कृषि भूमि सहिंत बंटवारा होने पर वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हासिल हुई। जिस पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 का संवत् 2010 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 को विक्रय करने की स्थिति में आज दिनांक को वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का चला आ रहा है।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर निर्णय हेतु मुख्यतः बिन्दु यह थे कि क्या वादगत् भूमि पुश्तैनी भूमि है अथवा नहीं? व वादगत् भूमि के बाबत् रजिस्टर्ड बैयनामें को निरस्त करने अथव सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को प्राप्त है अथवा नहीं?

इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विवेचन के आधार पर यह पाया गया कि वादगत् भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं होकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के धारण की भूमि है। वादगत् भूमि पैतृक सम्पति होने का कोई सबूत अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में व पंजीकृत बैयनामें को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है।

(5) प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि अदालत मातहत द्वारा जवाबदावा, तनकीयात् बनाई जाकर साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जबकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ना तो जवाबदावा लिया गया, नाही किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान किया गया।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब अपीलांट्स/वादीगण अपने वादपत्र के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स को कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं होते है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादगत् आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को दावे की प्रक्रिया के तहत स्वीकार करते हुए अपीलांट्स/वादीगण के वादपत्र को खारिज किया गया है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि पंजीकृत बैयनामें को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा उक्त पंजीकृत बैयनामें का निरस्त कराने की सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स/वादीगण का वादपत्र खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15—12—2017 उपखण्ड अधिकारी, नोखा यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 3.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर